सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–बुन्देलखण्ड–01
बी–1 तालपुरा योजना, झाँसी

Email ID- upavp.jhs@gmail.com

पत्र सं0 18 /नि0ख0, बुन्देलखण्ड–1/ Y-3 | 08 दिनांक 06-01-2022

सेवा में,

तकनीकी सलाहकार,
उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,
काला काकर हाउस,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ।

विषय :– भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–3, झांसी कानपुर ग्वालियर वाईपास सखी के हनुमान मंदिर के पास झांसी में 108 नग 36/75 प्रकार के फिनिश्ड एस.एफ.एस. भवनों के निर्माण हेतु उ0प्र0 रेरा में पंजीकरण के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक – 0501222/यू.पी.रेरा/परि.पंजी./2021–22 दिनांक 05.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद झांसी में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–3, झांसी में 108 नग 36/75 प्रकार के स्व–वित्त पोषित फिनिश्ड भवनों की परियोजना का रेरा में पंजीकरण हेतु आवेदन संख्या 358800 पर पंजीकृत किया गया, जिसके संबंध में इंगित कमियों के बिन्दुवार निम्नवत् निराकरण कर दिया गया है :–

1. समस्त प्रपत्रों की पठनीय प्रति अपलोड कर दी गयी है।
2. अपेक्षित संशोधन कर दिया गया।
3. विकास कार्यो के विस्तृत विवरण के प्लान को अपलोड कर दिया गया है।
4. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद–झांसी के मौजा–पिछोर एवं कोछाभांवर की खतौनी की सूची में समाविष्ट खसरों की भूमि के अनुसार 44 एकड़ की एक आवासीय परियोजना– भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–3, झांसी विकसित की जा रही है, जिसका नियमानुसार अधिग्रहण किया गया। कब्जा पत्र/ अधिकार पत्र की छायाप्रति अपलोड की गयी है।
5. आवासीय परियोजना–भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–3, झांसी के स्वीकृत ले–आउट में समाविष्ट सम्पत्तियों/ भूखण्ड में से पूर्व में 156 नग भूखण्डों का रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ406852 है। अद्यतन 156 नग भूखण्ड के सापेक्ष 135 नग भूखण्ड का विक्रय हो चुका है तथा शेष प्रक्रियाधीन है। विषयगत 108 नग 36/75 प्रकार के फिनिश्ड भवन पृथक से निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।
6. योजना उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित की जा रही है। योजना में समाविष्ट खसरों/भूमि का उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1, धारा–32 की उपधारा–1, एवं भूमि अध्याप्ति अधिनियम धारा–7/17 के अन्तर्गत) नियमानुसार विधिवत् अधिग्रहण किया गया। अधिकार पत्र अपलोड है।
7. बैंक स्टेटमेंट अपलोड हैं।
8. Individual Contract की आवश्यकता नही है। निर्माण कार्य प्रतिस्पार्धतात्मक टेण्डर उपरान्त किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण करते हुए संसगत दस्तावेज अपलोड कर दिया गया हैख आपसे अनुरोध है कि भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–3, झांसी में 108 नग भवनों का पंजीकरण शीघ्र करने का कष्ट करें।

भवदीय

(समर उपाध्याय)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक : 18 Y-3 /उपरोक्तानुसार। 08 दि0 06-01-2022

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वरिष्ठ स्टाफ आंफीसर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता–बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, झांसी।
4. सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता, नि.ख. बुन्देलखण्ड–01 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, झांसी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड-1
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद